कार्यालय कलेक्टर
जिला ई–गवर्नेस सोसायटी जिला महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

ईमेल – edm.mahasamund@gmail.com

क्र. 291 /लो.से.के./2019 महासमुन्द, दिनांक 30/08/2019

–:: विज्ञापन ::–

छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी) के अधिसूचना क्रमांक 806/पीएस/एसआईटी/2003/चॉइस, दिनांक 19 अगस्त 2003 के नियमानुसार तहसील कार्यालय सरायपाली जिला महासमुन्द के लिये लोक सेवा ऑपरेटर के रिक्त 02 पद हेतु इच्छुक आवेदकों से दिनांक 14/09/2019 तक आवेदन पत्र आमंत्रित है।

लोक सेवा ऑपरेटर के चयन हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

अ. लोक सेवा ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अर्हता –

1. आवेदक का कम से कम उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र (बारहवीं) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. आवेदक कम्प्यूटर संबधी डिग्री/डिप्लोमाधारी होना चाहिये जिस हेतु कम से कम Diploma in Computer Application या समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिये।
3. आवदेक प्रतिभूतियों, बीमाओं, बैंक गारंटियों या अन्य किसी भी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम हो।
4. कोई व्यक्ति लोक सेवा ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अर्ह नहीं होगा यदि वह अच्छे सदाचारिक चरित्र का न हो या किसी दण्डनीय अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जा चुका हो।

ब. लोक सेवा ऑपरेटर का चयन –

1. छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी) के आदेश क्रमांक 809/पीएस/एसआईटी/2003/चॉइस, दिनांक 19 अगस्त 2003 के नियमानुसार लोक सेवा ऑपरेटर का चयन किया जाएगा।

   (अ) इच्छुक आवेदकों से केवल निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र लिया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करने की बाध्यता नहीं होगी।

   (ब) आवेदन पत्र में दिये गए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 70 प्रतिशत एवं कम्प्यूटर संबंधी डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत का 30 प्रतिशत अंक इस प्रकार कुल 100 अंकों के आधार पर सूची तैयार की जायेगी।

   (स) उपरोक्त सूची में कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर प्रथम 30 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जायेगा।

   (द) मेरिट अनुसार प्रथम एवं द्वितीय अभ्यर्थी का चयन किया जा कर 10 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिये वैध माना जायेगा। चयनित अभ्यर्थी के पदभार ग्रहण नहीं करने पुलिस सत्यापन में दोषी पाये जाने, अभ्यर्थी के एक वर्ष के भीतर त्यागपत्र देने अथवा बर्खास्त करने पर प्रतीक्षा सूची से क्रमशः अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

2. चयनित अभ्यर्थी, लोक सेवा केन्द्र तहसील कार्यालय सरायपाली में सेवाओं का संचालन करेगा।
3. अधिसूचित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु लोक सेवा गारंटी केन्द्र के लोक सेवा ऑपरेटर को उसके द्वारा दी गई सेवाओं के एवज् में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियत राशि "सेवा प्रभार (Service Charge)" के रूप में देय होगी।

Scanned by CamScanner

4. चयनित लोक सेवा ऑपरेटर "छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रानिक अधिशासन) नियम 2003" में विहित रीति से कार्य करेगा। कलेक्टर सक्षम होंगे कि किसी भी लोक सेवा केन्द्र का निरीक्षण स्वयं करें अथवा करायें और उनसे अभिलेख या जानकारी मंगवाये और यदि उसे समाधान हो कि कोई अनियमितता की गई अथवा होना संभाव्य है और अधिसूचित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के हित में लोक सेवा ऑपरेटर को निर्देश जारी करने अथवा उसका चयन निलंबन करने की आवश्यकता है, तो वह ऐसे लोक सेवा ऑपरेटर को निर्देश जारी करने अथवा निलंवित करने के लिए भी सक्षम होंगे।
5. इस बात का समाधान होने पर की लोक सेवा ऑपरेटर ने अनुवंध की किसी शर्त के पालन में व्यतिक्रम किया है, अथवा इन नियमों के तहत् अर्हता की किसी शर्त को पूरा करने मे असफल रहा है, अथवा जारी किन्ही निर्देशों के पालन में असफल रहा है, कलेक्टर ऐसे लोक सेवा ऑपरेटर का चयन समाप्त करने के लिए सक्षम होंगे।
6. छ.ग. शासन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय नया रायपुर छ.ग. के आदेश क्र 280/स/ई.एवं सू.प्रौ./2016/चॉइस 2.0 दिनांक 05.11.2006 के आदेशानुसार चयन किए गए लोक सेवा ऑपरेटर को 5,000/– रू. की प्रतिभूति दी जानी होगी तथा विहित प्रारूप में अनुवंध निष्पादित करना होगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराया जायेगा।
8. इच्छुक अभ्यर्थी केवल स्पीड पोस्ट, डाक, रजिस्ट्री माध्यमों से अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि दिनांक 14/09/2019 है। आवेदन निम्नांकित पते पर भेजा जावे–

कार्यालय कलेक्टर, महासमुन्द
जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी, कक्ष क्र 22 (सी.जी.स्वान कक्ष)
वी.टी.आई. रोड, जिला महासमुन्द

अपर कलेक्टर
महासमुन्द

क्र. 291 /लो.से.के./2019 महासमुन्द, दिनांक 30/08/2019

प्रतिलिपि :

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर भवन रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरायपाली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं जिले की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. तहसीलदार, समस्त जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु।
9. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, न.पा.प./न.पंचा. समस्त को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु।
10. सर्व विभाग को सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर
महासमुन्द

Scanned by CamScanner

लोक सेवा ऑपरेटर के चयन के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साईज फोटो

लोक सेवा केन्द्र का नाम – तहसील कार्यालय सरायपाली

1. आवेदक का पूरा नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. निवास का पूर्ण पता ....

....

4. शैक्षणिक योग्यता

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र (बारहवीं)					

5. जन्म तिथि ....
6. मोबाईल नम्बर ....
7. ई–मेल आई.डी. ....
8. क्या आवेदक कभी गिरफतार हुआ है ? ....

   सिद्धदोष या आरोपी है ? विवरण दें ....

घोषणा

मैं..पिता का नाम ....उम्र.......................
निवासी.. यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से पूर्णता सत्य है, मैं इसकी सत्यता का जिम्मेदार हूं। यदि कोई जानकारी असत्य होगी तो वैधानिक कार्यवाही के लिये मैं जिम्मेदार रहूंगा।

दिनांक –

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं पूरा नाम

Scanned by CamScanner